संख्या–144 / XVIII(II) / 2012–18(107)2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2013

विषयः–जनपद नैनीताल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराड़ी, विकासखण्ड ओखल काण्डा हेतु 0.160 है0 भूमि को निःशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–656 / सात–स0भू0अ0 / 2012 दि0–16.10.2012 एवं अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3652 / रा0प0–012 भू0हस्ता0 दि0–2.11.2012 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जनपद नैनीताल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराड़ी, विकासखण्ड ओखल काण्डा, ग्राम पैटना के नॉन जेड0ए0 श्रेणी–9(3)ड. राज्य सरकार के नाम दर्ज खतौनी खाता संख्या–04 के खेत नं0–280 मध्ये 0.046 है0, खेत नं0–281 मध्ये 0.014 है0, खेत नं0–282 मध्ये 0.100 है0 कुल रकबा 0.160 है0 भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराड़ी, विकासखण्ड ओखलकाण्डा हेतु वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260 / वित्त अनुभाग–3 / 2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति / अनापत्ति के कम में शिक्षा विभाग / राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जमराड़ी को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– प्रश्नगत भूमि हस्तांतरण के पूर्व नगरपालिका परिषद से प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया जाएगा।

4– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

7– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

8– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०संख्या– /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4– प्रधानाचार्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराड़ी, ओखलकाण्डा, नैनीताल।
5– निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।